सतीचिदानंद मिश्रा

बनाम

ओडिशा राज्य व अन्य

सितंबर 17,2004

[वाई. के. सभरवाल और डी. एम. धर्मधारी, जे. जे.]

सेवा कानूनः

उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (कनिष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति मान्यता) अधिनियम, 1993-धारा 3 (1)- नियुक्ति-निरस्त नियमों के तहत-- मान्यता अधिनियम पारित करना, अवैध नियुक्तियों को मान्य करना-अधिनियम की वैधता को प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार से बाहर और निष्क्रिय माना गया। न्यायालय-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः इस तरह की अवैध नियुक्तियों को मान्य करना विधानमंडल के दायरे से बाहर है क्योंकि इस तरह का प्रयास संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा। भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 16-उड़ीसा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा (चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण पदों पर भर्ती और पदोन्नति) नियम, 1973-उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (भर्ती) नियम, 1979।

अभ्यास और प्रक्रियाः

याचिका-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार दायर हुयी -अभिनिधार्रित- अनुमति योग्य नहीं है।

शब्द और वाक्यांशः

"मान्यता अधिनियम"-- का अर्थ उड़ीसा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा (चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण पदों पर भर्ती और पदोन्नति) नियम, 1973 जूनियर शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए बनाए गए थे। 1973 के नियमों को उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (भर्ती) नियम, 1979,1979 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसमें प्रावधान था कि चयन बोर्ड का गठन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष के रूप में किया जाना था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खुद को नियुक्त करने की पेशकश के बावजूद 1979 के नियमों के अनुसार चयन बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। चयन बोर्ड के अध्यक्ष। 1979 के नियमों के लागू होने के बाद कनिष्ठ शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

चूंकि ये पद लंबे समय से खाली थे, इसलिए राज्य सरकार ने इन पदों को अस्थायी नियुक्तियों के बिना भरने का निर्णय लिया। 1979 के नियमों के तहत गठित चयन बोर्ड का गठन। निरस्त नियमों के तहत गठित चयन बोर्ड ने चयन किया। चयन बोर्ड की सिफारिशों को लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसने तदर्थ नियुक्तियों से सहमत होने से इनकार कर दिया। आयुक्त ने परिस्थितियों के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा आयोग

का कौन सा सदस्य उस चयन बोर्ड से संबद्ध नहीं था जिसे राज्य सरकार ने संतोषजनक जानकारी नहीं दी थी। इसलिए, उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (कनिष्ठ शिक्षक मान्यता की नियुक्ति की मान्यता) अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी कनिष्ठ शिक्षकों को वैध और नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने घोषित किया कि मान्यता अधिनियम अधिकार से बाहर और निष्क्रिय है और निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

अपील में, इस न्यायालय ने वैधता अधिनियम की धारा 3 (1) की वैधता तक सीमित नोटिस जारी किया। अवमानना याचिका और विशेष अनुमति याचिकाएं भी दायर की गईं।

प्रत्यर्थी-राज्य ने तर्क दिया कि नियुक्तियों को नियमित माना जा सकता है क्योंकि वे इतने सारे वर्षों से सेवा में हैं। वर्तमान मामले में 1973 नियम लागू थे और 1979 नियम नहीं; और कि अवैध नियुक्तियों को न्यायालय द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किया जा सकता है।

अवमानना याचिका को खारिज करते और उसका निपटारा करते हुए और विशेष अनुमति याचिका देते हुए न्यायालय ने अभिनिधार्रित किया

1. सभी नियुक्तियाँ पूरी तरह से अवैध थीं। उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (भर्ती) नियम, 1979 के अनुसार नहीं थी। चयन बोर्ड का गठन शर्तों

के अनुसार नहीं किया गया था। 1979 के नियमों द्वारा आवश्यक है जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को चयन बोर्ड का अध्यक्ष निर्धारित करता है। लोक सेवा आयोग ने अवैध नियुक्तियों से सहमत होने से इनकार कर दिया। [512 - डी]

आर. एन. नंजुंडप्पा बनाम टी. थिम्मिया और अन्य [1972] 1 एससीसी 409 पर आधारित।

2. यह एक अवैधता है जो नियुक्ति की जड़ पर प्रहार करती है, और इसलिए, ऐसी अवैध नियुक्तियों को मान्य करना विधानमंडल के दायरे से बाहर है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करेगा और यह आधार कि लोक सेवा आयोग 1979 के नियमों के अनुसार चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य को नियुक्त करने में विफल रहा और इसे भरने की तात्कालिकता के आलोक में उक्त रिक्तियों को उड़ीसा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा (चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण पदों पर भर्ती और पदोन्नति) नियम, 1973 के तहत गठित चयन बोर्ड द्वारा भरा गया था, जो सही नहीं प्रतीत होता है। अभिलेख पर तथ्य एक विपरीत स्थिति दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार राज्य लोक सेवा आयोग को दरकिनार करना चाहती थी। [513 - बी, सी, ए]

उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम गोपाल चंद्र रथ और अन्य [1995] 6 एस. सी. सी. 242; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड व अन्य बनाम ब्रोच

बरो नगरपालिका व अन्य [1969] 2 एस. सी. सी. 283; विजय मिल्स कंपनी लिमिटेड व अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, [1993] 1 एस. सी. सी. 345 और आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [1976] 4 एस. सी. सी. 750, विशिष्ट।

3. उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (कनिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति) की धारा 3 (1) मान्यता अधिनियम, 1993 किसी तथ्य को माने बिना कानूनी स्थिति को मानने के बराबर है। परिणाम स्वरूप नियुक्तियों के नियमित होने को 1979 के नियमों को निरस्त करने और 1973 के नियमों को लागू करने या बोर्ड के चयन की परिभाषा के आधार को बदलने के तथ्यों को माने बिना माना गया है। इस दृष्टिकोण से धारा 3 (1) को अमान्य माना जाता है। [517 - डी, 518-डी]

दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [1996] 2 एस. सी. सी. 449, पर भरोसा किया।

4. मान्यता अधिनियम की वैधता पर इस आधार पर हमला किया जाता है कि यह केवल घोषणा द्वारा की गई नियुक्तियों की अयोग्यता के आधार को हटाए बिना अमान्य नियुक्तियों को मान्य करता है। एक मान्यता अधिनियम का उद्देश्य प्रभावहीनता या अयोग्यता के कारण को दूर करना है। एक मान्यता अधिनियम, विधायिका की ओर से, प्रभावहीनता या

अयोग्यता के कारण को हटाने के लिए एक सकारात्मक कार्य का अनुमान लगाता है। [518 - ई, जी, एच]

हरि सिंह और अन्य बनाम सैन्य संपदा अधिकारी और अन्य, [1972] 2 एस. सी. सी. 239 और आई. टी. डब्ल्यू. सिग्नोड इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर। [2004] 3 एस. सी. सी. 48, संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी का 7 वां संस्करण पृष्ठ संख्या 1421, संदर्भित है।

5. नियुक्त व्यक्तियों को उनके इतने वर्षों से सेवा में होने के कारण नियमित नहीं माना जा सकता है। लोक सेवा आयोग शुरू से ही चयन पर आपत्ति जताता रहा है। राज्य सरकार को जिन कारणों से पता था कि वह लोक सेवा के सदस्य के साथ एक चयन बोर्ड के गठन में रुचि नहीं रखती थी। इसके अध्यक्ष के रूप में आयोग जो 1979 के नियमों की आवश्यकता थी। [513 - जी, एच; 514-ए]

नरेंद्र चड्ढा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1986] 2 एससीसी 157, विशिष्ठ।

6. यह तर्क कि 1973 के नियम लागू होंगे और 1979 के नियम नहीं, का आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसका आग्रह पहले नहीं किया गया था और सुनवाई के दौरान पहली बार इसे सामने रखने की मांग की गई है। इसके अलावा, विज्ञापन 1979 के नियमों

के बाद जारी किया गया था जो लागू किया जा चुका था। वास्तव में, 1979 के नियमों के संदर्भ में, राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग से अवैध नियुक्तियों को नियमित करने की इच्छा व्यक्त की। तब से लोक सेवा आयोग सहमत नहीं हुआ, मान्यता देने वाला क़ानून लागू किया गया। [516 - ई, एफ]

बी. एल. गुप्ता और अन्य बनाम एम. सी. डी. [1998] 9 एस. सी. सी. 223, विशिष्ट।

7. हालाँकि इस न्यायालय के पास किसी दिए गए मामले में अवैध और असमर्थनीय नियुक्तियों को नियमित करने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ हैं यदि न्याय किसी विशेष मामले की मांग है, लेकिन इसे अवैधताओं को बनाए रखने के लिए सामान्य अनुप्रयोग के नियम के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इस तरह का कोर्स का असाधारण परिस्थितियों में सहारा लिया। वर्तमान मामला उस श्रेणी में नहीं आता है। लोक सेवा आयोग को जानबूझकर दरकिनार करने की मांग की गई थी। अपीलार्थी के पक्ष में कोई हिस्सेदारी नहीं है जिसे लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए और योग्यता की कसौटी पर खड़े हुए, सफल हुए और प्रासंगिक नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए लोगों पर उच्च पद पर नहीं रखा जा सकता है। [517 - बी, सी]

एच. सी. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम कर्नाटक के माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, बैंगलोर और अन्य, [1991] सप. 2 एस. सी. सी 42, विशिष्ट।

सतीचिदानंद मिश्रा बनाम राज्य [सभरवाल, जे.] 509

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 8039/2003

उड़ीसा उच्च न्यायालय के ओ. जे. सी. सं. 17607/1998 के निर्णय और आदेश दिनांक 6.8.2001 से।

के साथ

सी. ए. सं. 8058-8059, 8061-8062, 8063, 8064, 8065, 8066/2003, सी. पी (ग) सं. 419/2002, सी. ए. सं. 8060/2003, 3015-16/ 2004 और एस. एल. पी. (ग) संख्या 13861-13862/2004,

सी. ए. सं. 8039, 8063, 8064 और 8066/2003 में अपीलार्थियों के लिए देवेंद्र सिंह, अबनी के. साहू, घनश्याम, डॉ. सुशील बलवाड़ा।

सी. ए. सं. 8059-8062 / 2003 में अपीलार्थियों के लिए पी. एन. मिश्रा, एस मिश्रा, राम पटनायक, अभिजीत सेनगुप्ता।

सी. ए. सं. 8058/2003 में अपीलार्थी के लिए बी. श्रीधर, के. राम कुमार।

सी. ए. संख्या 8065/2003 में अपीलार्थी के लिए जितेंद्र महापात्रा, अजय शर्मा।

सी. ए. सं. 3015-16 / 2004 & एस. एल. पी (ग) संख्या 13861-62/2004 में अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ता के लिए वाई. प्रभाकर राव।

सी. पी. (ग) 419/2002 में याचिकाकर्ता के लिए बी. आर. सारंगी और एम. ए. चिन्नासामी और सी. ए. सं. 8039, 8061-62, 8063, 8065/2003 में उत्तरदाता।

प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए वी. ए. मोहता।

उत्तरदाता राज्य के लिए जनार्दन दास, श्वेतकेतु मिश्रा, सुश्री मौसमी गहलोट।

ओ. पी. एस. सी. में प्रतिवादी के लिए सुश्री कीर्ति मिश्रा।

सी. ए. नं. 8060-62 / 2003 में उत्तरदाताओं के लिए सुशील कुमार जैन, ए. पी. धमीजा, सुश्री रुचि कोहली, एच. डी. थानवी, राम निवास, शरद सिंघानिया, श्रीमती प्रतिभा जैन।

सी. ए. सं. 8059/2003 में प्रतिवादी के लिए सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा।

रणधीर सिंह जैन (एन. पी.) प्रतिवादी सं. 8066/2003 के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वाई. के. सभरवाल द्वारा दिया गया था।

विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 6 अगस्त, 2001 को पारित फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था, जिसके तहत उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति मान्यता) अधिनियम, 1993 (संक्षेप में, 'मान्यता अधिनियम') को भारत के संविधान के अधिकारातीत घोषित कर दिया गया है। वर्तमान विवाद को जन्म देने वाली तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार बताई गई है।

24 सितंबर, 1973 को, उड़ीसा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा (मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण पदों पर भर्ती और पदोन्नति) नियम, 1973 (इसके बाद '1973 नियम' के रूप में संदर्भित) को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। इन नियमों में प्रावधान है कि जूनियर शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति उड़ीसा लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'ओपीएससी' के रूप में संदर्भित) के परामर्श से, कम से कम एक वर्ष के अनुभव वाले सहायक सर्जनों में से भर्ती करके एक चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी). नियम 3(एफ) में 'चयन बोर्ड' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कनिष्ठ या वरिष्ठ शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चयन बोर्ड और इसमें राज्य के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और ऐसे अन्य लोग शामिल होंगे। सरकार द्वारा नामित. 1973 के नियमों को अनुच्छेद 309 के

परंतुक के तहत बनाए गए 13 अगस्त, 1979 के नियमों के एक और सेट द्वारा निरस्त कर दिया गया। संविधान का, जिसे 'उड़ीसा चिकित्सा शिक्षा सेवा (भर्ती) नियम, 1979 (संक्षेप में, '1979 नियम') कहा जाता है। इन नियमों के तहत, नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत, जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री की न्यूनतम योग्यता या परिषद द्वारा निर्धारित किसी अन्य समकक्ष डिग्री या योग्यता प्रदान की गई थी। नियम 3(एफ) में प्रावधान है कि चयन बोर्ड का गठन ओपीएससी के सदस्य को अध्यक्ष बनाकर किया जाना था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सरकार के सचिव, डीएचईटी और मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल इसके सदस्य थे। 20 सितंबर, 1979 को चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशक (डीएमईटी) ने विज्ञापन जारी कर विभिन्न विषयों/विशिष्टताओं में जूनियर शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। हालाँकि, 1979 के अनुसार चयन बोर्ड का गठन कभी नहीं किया गया था। सरकार के अनुसार जूनियर शिक्षकों के कई पद लंबे समय से रिक्त रहने के कारण मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी, 1980 को उन पदों को 1979 की नियमावली के तहत चयन बोर्ड का गठन किये बिना तदर्थ नियुक्ति से भरने का आदेश पारित किया. 1973 के नियमों के निरस्त होने के बावजूद, निरस्त नियमों के तहत 3 अगस्त, 1979 को नियुक्त चयन बोर्ड को चयन करने की अनुमति दी गई। 4

अगस्त 1980 को मुख्यमंत्री के आदेश प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को तदर्थ आधार पर जूनियर शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किये गये। कुछ नियुक्तियाँ 11 नवंबर, 1980 को भी की गईं। कुल मिलाकर, 49 उम्मीदवारों को सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर जूनियर शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 9 फरवरी, 1982 को, 1973 के नियमों के तहत गठित चयन बोर्ड की सिफारिशों को उन 145 उम्मीदवारों की पूरी सूची के साथ ओपीएससी को भेजा गया था, जिन्होंने 20 सितंबर, 1979 के विज्ञापन के अनुसार पद के लिए आवेदन किया था। ओपीएससी ने इनकार कर दिया। इन 49 जूनियर शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियों पर सहमति। इससे मान्यता अधिनियम लागू हुआ जिसके द्वारा सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी 49 जूनियर शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तारीख से सेवा में वैध और नियमित रूप से नियुक्त माना गया।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 30 नवंबर, 1998 द्वारा मान्यता अधिनियम को अधिकारातीत और निष्क्रिय घोषित कर दिया। ट्रिब्यूनल के फैसले को उड़ीसा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आक्षेपित फैसले द्वारा बरकरार रखा है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, प्राथमिक मुद्दा जो हमारे विचार के लिए आता है वह मान्यता अधिनियम की वैधता के बारे में है । मान्यता अधिनियम की

धारा 3 की उपधारा (1) और (2) को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार है:-

"धारा 3 (1) भर्ती नियमों में किसी भी बात के बावजूद, उड़ीसा सरकार द्वारा नियमित रूप से भर्ती किए गए सहायक सर्जनों में से 49 जूनियर शिक्षकों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया और वर्ष 1980 और 1981 के दौरान राज्य के मेडिकल कॉलेजों में तैनात किया गया। इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर इस प्रकार जारी हैं, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, उनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा में वैध और नियमित रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसी किसी भी नियुक्ति को किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी जाएगी। कानून की अदालत में केवल इस आधार पर कि ऐसी नियुक्तियाँ भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थीं।

धारा 3 (2) जूनियर शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता जिनकी नियुक्तियाँ उप धारा (1) के तहत मान्यता हैं, उनकी संबंधित नियुक्ति तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।

29 नवंबर, 2001 को, नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया,

इस हद तक कि इसने मान्यता अधिनियम की धारा 3(2) को रद्द कर दिया और केवल धारा 3(1) की वैधता के संबंध में सीमित नोटिस जारी किया। इस प्रकार विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र प्रश्न धारा 3(1) की वैधता के बारे में है।

मान्यता अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों में , यह कहा गया है कि ओपीएससी ने 49 जूनियर शिक्षकों के पैनल को अस्वीकार कर दिया है और यदि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं तो उन्हें राज्य की रिक्तियों की स्थिति के अलावा अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह अधिनियम इन नियुक्तियों को मान्यता करने के लिए लाया गया है क्योंकि 1979 के नियमों के ढांचे के भीतर उनकी सेवाओं को नियमित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

स्पष्ट है कि सभी नियुक्तियाँ पूर्णतया अवैध थीं। ये 1979 के नियमों के अनुरूप नहीं थे. चयन बोर्ड का गठन 1979 के नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों के अनुसार नहीं किया गया था, जो ओपीएससी के एक सदस्य को चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान करता है। ओपीएससी ने

अवैध नियुक्तियों से सहमत होने से इनकार कर दिया। प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन मान्यता अधिनियम के लागू होने पर ऐसी नियुक्तियाँ नियमित हो गईं।

आर एन नंजुंदप्पा बनाम टी.थिम्मैया और अन्य [(1972) 1 एससीसी 409] में इस न्यायालय ने माना कि "यदि नियुक्ति स्वयं नियमों का उल्लंघन है या यदि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है तो अवैधता को नियमित नहीं किया जा सकता है। किसी अधिनियम का अनुसमर्थन या नियमितीकरण संभव है प्राधिकरण की शक्ति और प्रांत के अंतर्गत है, लेकिन प्रक्रिया या तरीके के साथ कुछ गैर-अनुपालन हुआ है जो नियुक्ति की जड़ तक नहीं जाता है।"

यहां यह ध्यान रखना उचित होगा कि उपरोक्त मामले में नियुक्ति में अनियमितता को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियम के माध्यम से नियमित करने की मांग की गई थी। उपरोक्त टिप्पणियाँ उसी संदर्भ में की गई थीं। वर्तमान मामले में नियुक्तियों को विधानमंडल के एक अधिनियम के माध्यम से नियमित करने की मांग की गई है। हमारे विचार में ऊपर उल्लिखित सुरक्षा उपाय उन मामलों में भी

लागू होंगे जहां नियुक्तियों को विधानमंडल के एक अधिनियम के माध्यम से नियमित करने की मांग की गई है।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 1979 के नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और 1980 में की गई नियुक्तियाँ उक्त नियमों को लागू करने के बाद की गईं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ओपीएससी को दरकिनार करना चाहती थी। ओपीएससी के एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में शामिल करने वाले चयन बोर्ड का गठन कभी नहीं किया गया था, और चयन 1973 के नियमों के तहत गठित बोर्ड द्वारा किए जाने की मांग की गई थी। हमारी राय में, यह एक अवैधता है जो नियुक्ति की जड़ पर प्रहार करती है और इसलिए, ऐसी अवैध नियुक्तियों को वैध बनाना विधानमंडल के दायरे से बाहर है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओपीएससी 1979 के नियमों के अनुसार चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य को नियुक्त करने में विफल रहा और रिक्तियों को भरने की तात्कालिकता के आलोक में, उक्त रिक्तियों को चयन बोर्ड द्वारा भरा गया था। 1973 के नियमों के तहत गठित, सही प्रतीत नहीं होता है। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य विपरीत स्थिति दर्शाते हैं। 4 सितंबर, 1979 को एक पत्र द्वारा ओपीएससी के अध्यक्ष ने खुद को चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनने की पेशकश की थी, लेकिन 1979 के नियमों के तहत कोई चयन बोर्ड गठित नहीं

किया गया था। इस संबंध में ओपीएससी ने अपने पत्र दिनांक 24 मार्च, 1982 द्वारा एक स्पष्टीकरण मांगा था जिसमें ओपीएससी ने विशेष रूप से उन परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था जिसके तहत ओपीएससी का एक सदस्य 04 जुलाई को आयोजित चयन बोर्ड की बैठकों में शामिल नहीं था।1980 और 10 नवंबर, 1980। उपरोक्त पत्र के दिनांक 20 सितंबर, 1982 के उत्तर में, उड़ीसा सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने उपर्युक्त प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया और अस्पष्ट रूप से कहा कि:

बड़ी संख्या में जूनियर राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में विभिन्न विषयों में शिक्षण पद रिक्त पड़े थे। शिक्षण के हित में उक्त पदों को तदर्थ आधार पर तुरंत भरना नितांत आवश्यक समझा गया। ऐसे में इसे भरने का निर्णय लिया गया। सरकारी स्तर पर पात्र उम्मीदवारों के बायोडाटा की जांच के बाद तदर्थ नियुक्तियों के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों को बढ़ाया जाएगा।

श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि वर्ष 1980 में नियुक्त 49 जूनियर शिक्षकों को नियमित माना जा सकता है, वे इतने वर्षों से सेवा में हैं। इससे पहले कि हम नरेंद्र चड्ढा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(1986) 2 एससीसी 157] के फैसले की जांच करें। श्री मिश्रा द्वारा भरोसा किया गया, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ओपीएससी शुरू से ही चयन पर आपत्ति

जताता रहा है। राज्य सरकार, सबसे अच्छे से ज्ञात कारणों से, ओपीएससी के एक सदस्य को उसके अध्यक्ष के रूप में चयन बोर्ड का गठन करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, जो कि 1979 के नियमों की आवश्यकता थी। नरेंद्र चड्ढा के मामले में जो प्रश्न विचार के लिए आया वह पूरी तरह से अलग था, अर्थात् पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले लोगों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण। उक्त मामले में विचाराधीन नियमों के नियम 8 (1) (ए) (ii) के तहत, पदोन्नतियों का कोटा 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं को नियम 8 (1) (ए) (ii) के तहत निर्धारित वास्तविक प्रक्रिया का पालन करके पदोन्नत नहीं किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इस तथ्य के साथ कोर्ट ने कहा कि वे कई वर्षों से पदों पर काम कर रहे थे; सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर नियुक्तियाँ की गईं; वे लगातार इन पदों पर बने हुए हैं; उन्हें ऐसे पदों के पदधारियों को देय वेतन और भत्ते सहित भुगतान किया गया था और उनकी नियुक्ति की तारीखों और कुछ में पदोन्नति के आदेश जारी होने के बाद से किसी भी समय उन पदों पर वापस जाने के लिए नहीं कहा गया था जहां से उन्हें पदोन्नत किया गया था। मामलों से पता चला कि उन्हें उनकी पदोन्नति की सीधी पंक्ति में पदोन्नत किया गया था और इसलिए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह तर्क देना बेकार है कि याचिकाकर्ता दोनों सेवाओं के ग्रेड IV में पद धारण नहीं कर रहे हैं और

आगे भी ऐसा होगा। इस समय के अंतराल में तथ्यों और न्यायालय के समक्ष मामले की परिस्थितियों में यह मानना अन्यायपूर्ण होगा कि याचिकाकर्ता ग्रेड IV में पद धारण नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, न्यायालय ने यह कहते हुए सावधानी बरती कि न्यायालय का यह विचार नहीं है कि जब भी किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों का पालन किए बिना किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। उस पोस्ट को. वर्तमान मामले में, हम उन नियुक्तियों की वैधता पर विचार कर रहे हैं जो 1979 के नियमों का पालन किए बिना की गई थीं। नरेंद्र चड्ढा के मामले में निर्णय उस मामले में तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। इसे पूरी तरह से अवैध नियुक्तियों का समर्थन करने के लिए दबाव में नहीं डाला जा सकता।

विद्वान वकील द्वारा उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम गोपाल चंद्र रथ और अन्य [(1995) 6 एससीसी 242] में निर्णय के पैरा 7 पर भी भरोसा किया गया है । यह मानते हुए कि मान्यता अधिनियम ने चयन समिति की परिभाषा को बदलकर और इसके परिणामस्वरूप विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी समिति द्वारा की गई नियुक्तियों को मान्यता करके कमी को दूर कर दिया है। उक्त मामले में, इस न्यायालय द्वारा इंगित अवैधता का आधार मान्यता अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। यह माना गया कि यह

बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि विधानमंडल के पास किसी भी निर्णय में इंगित दुर्बलता को दूर करके एक अधिनियम को मान्यता करने की शक्ति है और वह भी पूर्वव्यापी रूप से, लेकिन वे केवल न्यायालय के फैसले को रद्द, रद्द या ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा बताई गई कमज़ोरी इस आशय की थी कि चयन समिति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमों के तहत अपेक्षित नहीं की गई थी और इसलिए, चयन की प्रक्रिया ख़राब हो गई थी। मान्यता अधिनियम ने मौजूदा मामले के विपरीत चयन समिति की परिभाषा को बदल दिया। यह निर्णय वर्तमान मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य [(1969) 2 एससीसी 283] के मामले में प्रसिद्ध संविधान पीठ के फैसले में, मूर्तियों को मान्यता करने के बारे में सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। यह माना गया कि यदि विधायिका के पास विषय-वस्तु पर शक्ति है और वैध कानून बनाने की क्षमता है, तो वह किसी भी समय ऐसा वैध कानून बना सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से बना सकती है ताकि पिछले लेनदेन को भी बाध्य किया जा सके। इसलिए, एक मान्यता कानून की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या विधायिका के पास वह क्षमता है जिसका वह विषय-वस्तु पर दावा करता है और क्या सत्यापन करने में वह उस दोष को दूर करता है जो अदालतों ने मौजूदा

कानून में पाया था और क्या वह कानून में पर्याप्त प्रावधान करता है कि वैध कर लगाने के लिए कानून को वैध बनाया जावे। वर्तमान मामले में, श्री मिश्रा द्वारा उद्धृत इस निर्णय का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि न तो वैध कानून बनाने की क्षमता का सवाल है और न ही न्यायालय द्वारा बताए गए दोष को दूर करने का कोई सवाल है।

यहां सवाल 1979 के नियमों को निरस्त किए बिना या चयन बोर्ड की परिभाषा को बदले बिना अवैध नियुक्तियों को नियमित करने की मांग करने वाले वैध क़ानून की वैधता के बारे में है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विजय मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य. [(1993) 1 एससीसी 345] के मामले में निर्णय पर भी भरोसा जताया है। न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें आमतौर पर मान्यता के कानून पर विचार किया गया, जिसमें पृथ्वी कॉटन मिल्स (सुप्रा) का मामला भी शामिल है। पैरा 18 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से मान्यता करने के विभिन्न तरीके हैं, जो उस संबंध में विधानमंडल की मंशा पर निर्भर करता है। जहां विधानमंडल का इरादा है कि अधिनियम के प्रावधानों को अतीत में किसी विशेष तिथि से अस्तित्व में माना जाना चाहिए और इस प्रकार अतीत में किए गए कार्यों को मान्यता किया जाना चाहिए जैसे कि संबंधित प्रावधान पहले की तारीख से अस्तित्व में थे, विधायिका मान्यता

अधिनियम की विशिष्ट भाषा द्वारा उक्त आशय को स्पष्ट करती है । विधानमंडल के लिए यह खुला है कि वह प्रावधानों के मूल आधार को पूर्वव्यापी रूप से बदल सके और बदले हुए आधार पर कार्यों को मान्यता कर सके। उक्त मामले में, यह माना गया कि विधानमंडल ने प्रावधानों के आधार को पूर्वव्यापी रूप से बदल दिया था जैसा कि संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट था । वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मान्यता क़ानून ने ऐसा कुछ नहीं किया है और केवल प्रासंगिक समय पर लागू नियमों को निरस्त किए बिना या पूर्वव्यापी प्रभाव से चयन बोर्ड की परिभाषा में संशोधन किए बिना अवैध नियुक्तियों को नियमित करने की मांग की है।

श्री मिश्रा द्वारा आईएन सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1976) 4 एससीसी 750] के मामले में निर्णय के पैरा 32 पर भी भरोसा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य विधानमंडल के पास न केवल सेवा शर्तों को बदलने की विधायी क्षमता थी। राज्य सिविल सेवकों को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, लेकिन पूर्वव्यापी बल के साथ अमान्यता कार्यकारी आदेशों को मान्यता करने के लिए, सेवकों को सेवानिवृत्त करने के लिए, क्योंकि इस तरह के वैध कानून को प्रविष्टि 41 द्वारा कवर किए गए विषय पर कानून की शक्ति के सहायक या सहायक के रूप में माना जाना चाहिए।

हम देखने में असमर्थ हैं वर्तमान उद्देश्य के लिए उपरोक्त निर्णय की प्रासंगिकता। जैसा कि पहले ही कहा गया है, यहां किसी ने भी राज्य सिविल सेवकों की सेवा शर्तों को पूर्वव्यापी प्रभाव से बदलने की विधायी क्षमता पर सवाल नहीं उठाया है। प्रश्न यह है कि क्या परिवर्तन बिल्कुल प्रभावी हुआ है? हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि कानून ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि अनियमित नियुक्तियां वैध होंगी. कानून द्वारा अवैधता का आधार बिल्कुल भी नहीं बदला गया है।

यह भी तर्क दिया गया कि 1973 नियम लागू होंगे न कि 1979 नियम। हम अपीलकर्ताओं को इस बिंदु पर आग्रह करने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि पहले इस पर आग्रह नहीं किया गया था और सुनवाई के दौरान पहली बार इसे सामने रखने की मांग की गई है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विज्ञापन 1979 के नियम लागू होने के बाद जारी किया गया था। दरअसल, राज्य सरकार 1979 के नियमों के तहत ओपीएससी से अवैध नियुक्तियों को नियमित करना चाहती थी. चूंकि ओपीएससी सहमत नहीं था, इसलिए मान्यता क़ानून लागू किया गया था। बी एल गुप्ता और अन्य बनाम एमसीडी [(1998) 9 एससीसी 223] पर भरोसा रखा गया। यह प्रस्ताव गलत है कि 1973 नियम लागू होंगे न कि 1979 नियम। उक्त निर्णय 1979 नियमावली की आवश्यकताओं के अनुसार चयन बोर्ड के गठन के मुद्दे पर प्रासंगिक नहीं है।

एचसी पुट्टस्वामी और अन्य बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य [1991 सप्प. (2) एससीसी 421] में किए गए अवलोकन से समर्थन प्राप्त करना। यह तर्क दिया गया कि अवैध नियुक्तियों को भी नियमित रूप से नियुक्त माना जा सकता है। विश्वसनीय निर्णय में, यह न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई नियुक्तियों की अमान्यता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, लेकिन, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि परिणाम कर्मचारियों को उखाड़ फेंकना होगा, अपनाया गया एक मानवीय दृष्टिकोण और उन तथ्यों पर आधारित कि नियुक्त व्यक्ति दया के पात्र हैं। सच है, इस न्यायालय के पास किसी दिए गए मामले में अवैध और असमर्थित नियुक्तियों को नियमित करने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं, यदि किसी विशेष मामले का न्याय इसकी मांग करता है, लेकिन इसे अवैधताओं को बनाए रखने के लिए सामान्यता आवेदन के नियम के रूप में नहीं लिया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में इस तरह के पाठ्यक्रम का सहारा लिया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि मौजूदा मामला उस श्रेणी में आता है. ओपीएससी को जानबूझकर दरकिनार करने की मांग की गई। अपीलकर्ता के पक्ष में कोई समानता नहीं है, जिन्हें ओपीएससी द्वारा चुने गए और योग्यता की कसौटी पर खरे उतरने वाले, सफल होने वाले और प्रासंगिक नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए लोगों

से ऊंचे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि 4 अक्टूबर, 1982, 1979 को नियमों में संशोधन किया गया और चयन बोर्ड के माध्यम से चयन को समाप्त कर दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि चयन ओपीएससी के माध्यम से किया जाएगा।

हम आगे यह भी नोट कर सकते हैं कि धारा 3(1) किसी तथ्य पर विचार किए बिना कानूनी स्थिति पर विचार करने के बराबर है। यह दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [(1996) 2 एससीसी 449] के मामले में देखा गया था कि "किसी कानूनी परिणाम को नहीं माना जा सकता है और न ही उससे पहले की घटनाओं को माना जा सकता है। तथ्यों को समझा जा सकता है और उसके बाद आने वाले कानूनी परिणामों को माना जा सकता है।" इस मामले में रायपुरा और उम्मेदगंज गांवों को कोटा नगर पालिका में शामिल करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 4 से 7 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न्यायालय के आदेश और निर्णय के तहत, कोटा नगर पालिका को याचिकाकर्ता कंपनी, जो उक्त गांवों में स्थित थी, पर कर लगाने से इस आधार पर रोक दिया गया था कि उक्त गांव वैध रूप से कोटा नगर पालिका में शामिल नहीं थे। कोटा नगर पालिका सीमा (निरंतर अस्तित्व) मान्यता अधिनियम, 1975 पारित होने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 4 से 7 बिना

किसी संशोधन के क़ानून की किताब में बनी रहीं। मान्यता अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि:-

"1959 अधिनियम की धारा 4 से 7 या किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश में निहित किसी भी बात के बावजूद, रायपुरा और उम्मेदगंज गांवों का अस्तित्व हमेशा बना हुआ माना जाना चाहिए और वे सभी इरादों और सभी उद्देश्यों के लिए" नगर पालिका कोटा की सीमा के भीतर मौजूद रहेंगे। मान्यता अधिनियम की वैधता प्रश्न में थी। इस न्यायालय ने कहा कि " मान्यता अधिनियम यह प्रावधान करता है कि, 1959 अधिनियम की धारा 4 से 7 में या किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, डिक्री, आदेश या निर्देश में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, रायपुरा और उम्मेदगंज के गांवों को हमेशा जारी रखा जाना चाहिए अस्तित्व में हैं और वे कोटा नगर पालिका की सीमा के भीतर, सभी इरादों और सभी उद्देश्यों के लिए मौजूद रहेंगे। इस प्रावधान के लिए कानूनी स्थिति को मानने की आवश्यकता है कि रायपुरा और उम्मेदगंज के गांव कोटा नगर पालिका की सीमा के भीतर आते हैं, न कि कोटा नगर पालिका की सीमा के भीतर उन तथ्यों को समझा जा

सकता है जिनसे यह कानूनी परिणाम निकलेगा। किसी कानूनी परिणाम को नहीं माना जा सकता है और न ही उससे पहले की घटनाओं को माना जा सकता है। तथ्यों को समझा जा सकता है और उसके बाद आने वाले कानूनी परिणामों को समझा जा सकता है।" (जोर दिया गया)। कारणों से और इस आधार पर कि मान्यता अधिनियम ने उस दोष को ठीक नहीं किया जिसके कारण कोटा नगर पालिका में उक्त गांवों को शामिल करने की अमान्यता हुई, मान्यता अधिनियम को अमान्यता माना गया।''

वर्तमान मामले में डीमिंग क्लॉज का प्रभाव उपर्युक्त मामले के समान ही है। नियुक्तियों के नियमित होने के कानूनी परिणामों पर 1979 के नियमों को निरस्त करने और 1973 के नियमों को लागू करने या आधार को बदलने, अर्थात् बोर्ड के चयन की परिभाषा को बदलने के तथ्यों पर विचार किए बिना विचार किया गया है। इस दृष्टिकोण से, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि धारा 3(1) का वही हश्र होगा जो दिल्ली क्लॉथ मिल्स मामले में मान्यता क़ानून का हुआ था।

मान्यता अधिनियम की वैधता पर इस आधार पर भी हमला किया गया है कि यह केवल घोषणा के द्वारा की गई नियुक्तियों की अमान्यता के आधार को हटाए बिना अमान्यता नियुक्तियों को मान्यता करता है। ब्लैक्स

लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण, पृष्ठ संख्या 1421) मान्यता अधिनियम को "एक कानून के रूप में परिभाषित करता है जिसे या तो त्रुटियों को दूर करने या संवैधानिक आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधित किया जाता है"। हरि सिंह और अन्य बनाम सैन्य संपदा अधिकारी एवं अन्य [(1972) 2 एससीसी 239] सुप्रीम कोर्ट ने माना कि "एक मान्यता अधिनियम का अर्थ उन कार्यों या कार्यवाहियों की अप्रभावीता या अमान्यताकरण के कारणों को दूर करना है, जो एक विधायी उपाय द्वारा मान्यता हैं"। आईटीडब्ल्यू साइनोड इंडिया लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज [(2004) 3 एससीसी 48] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "एक मान्यता अधिनियम किसी भी चीज की वैधता की पुष्टि करके वास्तविक या संभावित शून्यता, विकलांगता या अन्य दोष को दूर करता है, जो कि है या अमान्यता हो सकता है।" मान्यता अधिनियम का उद्देश्य अप्रभावीता या अमान्यता के कारण को दूर करना है। एक मान्यता अधिनियम अप्रभावीता या अमान्यता के कारण को दूर करने के लिए विधायिका की ओर से एक सकारात्मक कार्य मानता है। मौजूदा मामले में कुछ नहीं किया गया है।

निष्कर्ष निकालने से पहले, हम एक और पहलू पर ध्यान दे सकते हैं जिसे विद्वान वकील ने बताया था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि सही हो या गलत, डॉ. केसी बिस्वाल, डॉ. एसएन मिश्रा और डॉ. एससी

मिश्रा को लंबे समय से उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है और वे सिफारिश के आधार पर इतने ऊंचे पद पर बने हुए हैं। ओपीएससी की और ऐसी परिस्थितियों में, उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति से परेशान करने के लिए कोई भी आदेश पारित करना अन्यायपूर्ण होगा। डॉ. सच्चिदानंद मिश्रा के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी ओर, डॉ. राम रमण सरनजी (सीए संख्या 8039/03 में प्रतिवादी संख्या 4) के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के उपरोक्त निर्देश को चुनौती देने वाली उनके मुवक्किल द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस दृष्टि से, इस पहलू पर, हम कानून के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को बरकरार रखा जाता है और तदनुसार अपीलें खारिज कर दी जाती हैं, लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अवमानना याचिका और विशेष अनुमति याचिकाओं का भी इस फैसले के आधार पर निपटारा किया जाता है।

अपील खारिज/याचिका निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **रविन्द्र प्रताप सैनी** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।